न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः– 6/18 (RCMS No. 2018/00033) मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21

आर 2 आर सेवा (आईकेएफ टेक्नोलोजी लिमिटेड की शाखा) बी–11 ए, बेसमेन्ट, जयपुर टॉवर, एम,आई, रोड, जयपुर जरिये सुनील गोयल पार्टनर

.....प्रार्थी

बनाम

जिला ई मित्र सोसायटी करौली जरिये जिला कलक्टर करौली

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 21 माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996

उपस्थितिः–

1. श्री संग्राम सिंह वकील प्रार्थी
2. श्री राजेश मित्तल वकील अप्रार्थी

नि र्ण य दिनांक :–14.08.2018

यह प्रार्थना पत्र मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश हुआ है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 10.11.2008 को एक इकरार करौली में हुआ जिसके तहत प्रार्थी को दिनांक 12.11.08 से करौली में ई मित्र प्रोजेक्ट को संचालित करना था। प्रार्थी को अपनी सेवायें देनी थी एवं बदले में कमीशन लेना था। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया। इकरारनामे के शीर्षक संख्या 6 के तहत पक्षकारों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर अथवा संविदा भंग होने पर प्रकरण को मध्यस्तम के मार्फत निपटाया जाना तय हुआ था। एकल मध्यस्तम संभागीय आयुक्त भरतपुर का होना निश्चित किया गया। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी करौली ने पत्रांक 5069 दिनांक 28.10.2010 से आर 2 आर द्वारा एसओयू के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर फर्म की अमानत राशि 5 लाख रूपये राज्य हित में जब्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश किया है।

प्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थी ने अपने जबाब के पैरा संख्या 12 में प्रकरण को अन्य न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रकरण सं0 7/11 दर्ज करवाना बताया गया है व एक ही प्रकरण को दो जगह नही चलाया जा सकता है रेससबजुडिस का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जबकि प्रार्थी सैक्शन व मध्यस्थता सुलह अधिनियम के तहत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के समक्ष उपस्थित हुआ था। जिसका उसे वैधानिक अधिकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमान् के समक्ष आर्वीट्रेशन व मध्यस्थ व सुलह अधिनियम की धारा 21 में आया है। इस प्रकार उक्त वाद रेससबजूडिस में नही आता है। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड एडी से दिनांक 30.07.09 को कार्य बन्द कर देने का नोटिस दिया था। जिसका जबाब अप्रार्थी द्वारा कोई टिप्पणी या प्रति उत्तर अपने जबाब में पेश नही दिया गया। यह नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। एमओयू के पैरा सं0 7 में Duration and Terminatuion clause के सब पैरा 7.2.1 में स्पष्ट विवरण अंकित किया है कि एक माह का लिखित नोटिस देकर दोनों पक्षकार एमओयू से मुक्त हो जायेंगे व किसी तरह के नुकसान के लिये कोई भी पक्षकार जिम्मेदार नही होगा। प्रार्थी ने एमओयू की पालना में नोटिस भेजा था। जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई आब्जेक्शन नही भेजा गया। यदि अप्रार्थी के जबाब को ही माने जिसके पैरा प्रथम में अप्रार्थी ने एमओयू होने की तारीख 26.07.08 माने तो एमओयू के पैरा सं0 7.3.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर एक साल पूर्ण होने पर अप्रार्थी व प्रार्थी के मध्य आपसी रजामंदी से ही अगले साल का एग्रीमेन्ट एक्सटेशन हो पायेगा। जबाब बिन्दु प्रथम के अनुसार दिनांक 25.07.09 को एमओयू समाप्त हो जाता है। प्रार्थी ने उक्त समाप्ति के चार पॉच दिन पश्चात कार्य बन्द करने का नोटिस दिया जिससे प्रार्थी की असहमति स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। अतः MOU Duration Existing नही रहने पर अप्रार्थी द्वारा सिक्योरिटी राशि 5 लाख रूपये जप्ती का आदेश अवैधानकि हो जाता है। अप्रार्थी ने 20 लाख रूपये का तकनीकी इन्फाक्टक्चर तैयार करने का दावा किया परन्तु उक्त दावे के समर्थन में किसी तरह के दस्तावेजात बिल या अन्य किसी तरह के सबूत पेश नही किये गये और न ही किसी स्वतंत्र एजेन्सी से इस नुकसान की जॉच व रिपोर्ट करवायी गयी। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी के जिले में विशेष परिस्थितियों में कार्य किया है। प्रार्थी के अलावा अन्य किसी कम्पनी ने उक्त जिले में निविदा में भाग ही नही लिया गया। कोई भी कियोस्क बनना नही चाहता था। जिस पर अप्रार्थी को लगातार पत्रों द्वारा व व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उक्त समय में किसी तरह का सहयोग नही करना व आज 5 लाख रूपये जप्ती का आदेश अवैधानिक व अनैतिक परिधि में आता है। अतः प्रार्थी के 5 लाख रूपये की एफडी प्रार्थी के पक्ष में जारी किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी आर 2 आर सेवा को भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में कियोस्क खोलकर बिना व्यवधान के कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी तथा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जमा बिल की राशि 24 घण्टे के अन्दर ई–मित्र के खाते/संबंधित विभाग में जमा कराना अनिवार्य था परन्तु प्रार्थी ने न तो विधि अनुकूल कियोस्क खोलकर उक्त सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया और न ही जमा शुदा राशियों को निर्धारित समय अवधि में ई–मित्र/संबंधित विभाग में जमा कराया। प्रार्थी की प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों के पश्चात प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा बारम्बार मौखिक एवं लिखित आग्रह कर सेवाओं में सुधार का अवसर दिया गया परन्तु कोई सुधार नही किया गया। शिकायत कर्ताओं द्वारा बार बार शिकायतें करने पर अप्रार्थी ने अनुबंध को समाप्त कर प्रार्थी की जमा शुदा अमानत राशि व बैंक गारन्टी को राजहित में जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित अनुबंध की अवधि वक्त 2007 में समाप्त हो चुकी थी तथा मियाद अधिनियम 1963 के आर्टीकल 22 में किसी भी विवाद को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। प्रार्थी ने उक्त विवाद दिनांक 24.02.2012 को श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि लगभग 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थी का उक्त विवाद मियाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है। उन्होंने लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने अनुबंध की शर्त सं0 4.4.1.9 एवं 4.1.4 की पालना में अमानत राशि व बैंक गारन्टी को जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण की उक्त समस्त कार्यवाही विधि अनुकूल व अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत की गयी है। इसलिये प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में कोई भी राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विस्तृत जबाब मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रकरण मियाद बाहर होने एवं प्रार्थी द्वारा लापरवाही पूर्ण कृत्य होने व कियोस्क धारकों द्वारा बारम्बार शिकायत किये जाने के बाबजूद भी सुधार का अवसर प्रदान किये जाने के बाबजूद भी प्रार्थी द्वारा कोई सुधार नही किये जाने के कारण प्रार्थी की जमाशुदा अमानत एवं धरोहर राशि को जब्त किया गया है, जो उचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 10.11.2008 को एक इकरार करौली में हुआ जिसके तहत प्रार्थी को दिनांक 12.11.08 से करौली में ई मित्र प्रोजेक्ट को संचालित करना था। प्रार्थी को अपनी सेवाये देनी थी एवं बदले में कमीशन लेना था। इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी करौली ने पत्रांक 5069 दिनांक 28.10.2010 से आर 2 आर द्वारा एसओयू के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर फर्म की अमानत राशि 5 लाख रूपये राज्य हित में जब्त करने का आदेश पारित किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी को करौली में कियोस्क खोलकर कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी तथा उपभोक्ताओं द्वारा जमा बिल की राशि 24 घण्टे के अन्दर ई–मित्र के खाते में या संबंधित विभाग में जमा करानी थी। परन्तु प्रार्थी ने न तो विधि अनुकूल कियोस्क खोलकर उक्त सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया और न ही जमा शुदा राशियों को निर्धारित समय अवधि में ई–मित्र या संबंधित विभाग में जमा कराया है। प्रार्थी को बार बार मौखिक एवं कई बार लिखित पत्र देकर सेवाओं में सुधार करने का अवसर दिया गया था जिसके लिये ई मित्र सोसायटी द्वारा कई बार पत्र भी लिखे हैं। प्रार्थी को जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी करौली ने पत्र लिखकर कार्य करने व नवीन सेवाओं का विस्तार करने हेतु लिखने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा सेवाओं में कोई सुधार नही किया गया। जिससे अप्रार्थी ने अनुबंध की शर्त सं0 4.4.1.9 की पालना में अमानत राशि व बैंक गारन्टी को जब्त किया गया है, जो उचित है। अप्रार्थी की उक्त समस्त कार्यवाही विधि अनुकूल व अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत की गयी है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मध्यस्तम समझौता अधिनियम 1996 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर